

Mr. Dinesh Tiwari

उत्तर प्रदेश शासन  
 कृषि विषयक एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1  
 सख्त्या: २५२६ / ८०-१-२०१५-६००(१) / १९८१  
 लखनऊ: दिनांक १६ मार्च, २०१५

### आधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण स्ट्रॉप अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठिया उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) वर्ती धारा-40, द्वारा प्रदृश्ट शब्दित का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1966 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

### उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2015

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| संस्थापन नाम<br>संशोधन              | 1. (1)-यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।<br><br>(2)-यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
| नियम-70का<br>संशोधन<br>[धारा-17(1)] | 2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1966 में, नीचे रखा-1 में दिये गये नियम-70 के स्थान पर, रखा-2 में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात्:-           |

#### स्थान-1

#### विद्यमान नियम

70. मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स देना-

(1) मण्डी समिति अपनी उपविधियों के अनुमोदन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मण्डी क्षेत्र में नोटिस द्वारा क्षेत्र में नोटिस द्वारा जो प्रचारित की जायेगी उसकी प्रतिलिपियों के हिन्दी में बटपाकर तथा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे नोटिस की प्रतिलिपियाँ चिपकाकर और मण्डी स्थानों

#### स्थान-2

#### एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

70. मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स देना-

(1) मण्डी समिति अपनी उपविधियों के अनुमोदन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मण्डी क्षेत्र में नोटिस द्वारा जो प्रचारित की जायेगी उसकी प्रतिलिपियों के हिन्दी में बटपाकर तथा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे नोटिस की प्रतिलिपियाँ चिपकाकर और मण्डी

में लाउडरस्पीकर से अथवा डुग्गी पिटवाकर रथानों में लाउडरस्पीकर से अथवा डुग्गी पिटवाकर घोषणा करके उन समस्त रथानीय निकायों तथा अन्य व्यक्तियों को निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिकी कर, संग्रह, तौलन या प्रक्रिया करने के लिए किसी रथान की व्यवस्था बदलना रथापित करना अथवा बनाये रखना चाहते हों और इसी प्रकार मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को सम्भालने या उनका व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों, आढ़तियों को उपधारा (2) के अधीन जैसी भी दशा हो लाइसेन्स के लिए उक्त नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रपत्र भें जो मण्डी समिति अपनी उपविधियों में निर्धारित करें, प्रार्थना पत्र देने को कहेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम के उपर्युक्त किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पातों, पोस्ट, कपड़े या प्रक्रिया किये गये कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यवित्र पर लागू न होंगे जो किसी कृषि उत्पादन भण्डी को अपने घरेलू उपयोग के लिए कद्य अथवा संग्रह करे।

(2) समिति ऐसे प्रपत्रों में जो मण्डी समिति हारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट किये जाएं, लाइसेन्स जारी करेगी और लाइसेन्स की शर्त तथा प्रतिबन्ध समिति हारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट की जावेगी और समिति हारा जारी किये गये लाइसेन्सों पर भी उन्हें मुद्रित किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपनियम(1) के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करना चाहता हो वह मण्डी सभिति द्वारा अपनी उपविधियों में सदर्थ निर्दिष्ट प्रपत्र में इसके लिए मण्डी समिति को नियम 67 के अधीन नियत लाइसेन्स

स्थानों में लाउडरसीपीकर से अथवा डुगरी पिटवाकर घोषणा करके उन समस्त स्थानीय निकायों तथा अन्य व्यक्तियों को हुलायेगी जो, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिकी, कय, संग्रह, तौलन या प्रक्रिया करने के लिए किसी स्थान की व्यवस्था करना, स्थापित करना अथवा बनाये रखना चाहते हों और इसी प्रकार मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को सम्भालने या उनका व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों, कमीशन अधिकारियों, आदितियों, भण्डागारिकों, तौलको, मापकों, पल्लेदारों और अन्य व्यविधियों को अधिनियम की धारा-9 की उपधारा(1) या उपधारा (2) के अधीन जैसी भी दशा हो लाइसेन्स के लिए उक्त नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रपञ्च में जो मण्डी समिति अथवी उपविधियों ने निर्धारित करें, प्रार्थना पत्र देने को कहेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम के उपरान्ध  
किसी उत्पादक पर उसके ह्वारा उत्पादित, पाले,  
प्रोसे, कपड़े या प्रक्रिया किये गये कृषि उत्पादन के  
सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति पर लागू न होंगे जो  
किसी कृषि उत्पादन मण्डी को अपने छारेतू  
उपर्योग के लिए क्षय अथवा संग्रह करे।

(2) समिति ऐसे प्रपत्रों में जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट किये जाएं, लाइसेन्स जारी करेंगी और लाइसेन्स की शर्तें तथा प्रतिबन्ध समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट की जायेगी और समिति द्वारा जारी किये गये लाइसेन्स पर भी उन्हें मुद्रित किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपनियम(1) के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करना चाहता हो वह मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में तदर्थ निर्दिष्ट प्रपत्र में इसके लिए मण्डी समिति को नियम 67 के अधीन नियत लाइसेन्स शर्कू की धनराशि राहित एक

शुल्क की धनराशि सहित एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र देगा।  
देगा।

(4) (1) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित जारी कर सकती है यदि,

(क) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी क्रण दिवालिया नहीं है।

(ख) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपचण्ड(क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लोदार, ट्रक चालक एवं ठेला पर लागू नहीं होंगे।

(4) (1) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,

(क) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी क्रण दिवालिया नहीं है।

(ख) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपचण्ड(क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लोदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र, नियमों एवं उपविधियों द्वारा यथाविहित फीस एवं संलग्नकों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर समिति ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा लिण्डी लेगी और उसके संबंध में आदेश को संसूचित करेगी।

नियम-137 का  
संशोधन

(धारा-17(क))

2-उपत नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-137 के रथान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायेगा।

स्तम्भ-1  
विवरण नियम

137-नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करना या उसमें कभी करना (धारा 17-क(1)(क))-

(1) मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कभी के लिए आवेदन राज्य सरकार को किया जाएगा और उसे निदेशक को भेजा जाएगा। निदेशक संबंधित

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

137-नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कभी (धारा 17-क(1)(क))-

(1)ऐसी नई प्रसंस्करण इकाइ, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पॉच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट

जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा। जिला मार्गिनल्सट्रॉट से रिपोर्ट मांगेगा। जिला अधिकारी निवासियों प्राप्त करेगा और उन्हें अपनी शिकारिशों के साथ निदेशक को अग्रसारित करेगा।) निदेशक अपनी शिकारिशों सहित आवेदन-पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(2) उपनियम(1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर अज्ञ सरकार उसे पर अन्तिम विनिश्चय करेगी और यदि वह भण्डी शुल्क के दर से छूट प्रदान नहीं करने या कभी करने का विनिश्चय करती है तो वह उसे मण्डी शुल्क की दर में छूट प्रदान करने या कभी करने की अवधि और तदनिमित्त शर्तों और निर्बन्धन को विशिष्ट करते हुए अधिसूचित करेगी।

**स्पष्टीकरण—** धारा 17-क और इस नियम के पायोजनों के लिए नवरथापित कृषि प्रसंरकरण भवाइ का तात्पर्य उत्तार प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी(संख्या-17 सन् 2005) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-17 सन् 2005) को गजट में प्रकाशित होने के दिनांक 5 अगस्त, 2005 को या उसके पश्चात रथापित इकाई से है।

या उसमें कभी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंरकरण शुल्क के रूप में सम्बन्धित भण्डी समिति के पुस्तक में रु0 20,000/-के बैंक ड्राफ्ट के साथ मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को आख्या हेतु अग्रसारित कर देगा।

(2) उपनियम(1) के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने एवं धारा-17क के उपधारा(1) के खण्ड(क) के अन्तर्गत संबंध एवं मशीनरी का भौतिक सत्यापन कराकर अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि संबंध एवं मशीनरी की लागत पौँछ करोड़ या उससे अधिक है, जिलाधिकारी द्वारा अपनी आख्या पन्द्रह दिन के अन्दर मण्डलायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

(3) जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या का परीक्षण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा—

(1)	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2)	जिलाधिकारी	सदस्य
(3)	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य-सचिव
(4)	अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
(5)	सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति	सदस्य

(4) उक्त समिति तीस दिन के भीतर उपनियम(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या एवं इकाई द्वारा

प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी और मण्डी शुल्क(विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान करने यो उसकी दर में कमी करने की संस्तुति करेगी, जिसकी अधिक पैंच वर्ष से अधिक नहीं होगी अथवा प्रार्थना पत्र को लिखित रूप में सकारण अस्वीकृत करेगी।

(5) उपनियम(4) के अधीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् मण्डलायुक्त द्वारा जिन फर्मों को मण्डी शुल्क में छूट अथवा दर में कमी की जानी है(विकास सेस को छोड़कर), के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अन्तिम निर्णय लेगी और उसे ऐसे शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ गजट में अधिसूचित करेगी जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण धारा-17(क) और इस नियम के प्रयोगन के लिए नवरूपित कृषि प्रसरकरण इकाई का सातपर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27 सन् 2013) के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को या उसके पश्चात स्थापित इकाई से है।

भूमित भोजन प्रसाद  
प्रमुख सचिव

(अमित भोजन प्रसाद)  
प्रमुख सचिव

परिणाम- (1) / 80-1-2015, तददिनांक।

- उपर्युक्त को प्रतिसिद्धि मिलायित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) संग्रहत निदेशक, राजकीय सुविधालय, ऐशबाग, लखनऊ को संपर्कत अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति संहित दिनांक 16 मार्च, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट के भाग-4 के खण्ड "ख" में प्रकाशनार्थी। कृपया अधिसूचना की 250 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।
  - (2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
  - (3) समस्त मण्डलायुवत/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - (4) समस्त सभापति कृषि उत्पादन मण्डी सभितियाँ, उत्तर प्रदेश।

आङ्गा से,

2  
11.3.2015  
(अमर कुमार)  
अनु सचिव

प्रथम-१०

मन राज्याभित कृषि प्रसंस्करण इकाई के लिए मण्डी खुल्क से छूट अथवा दर में कमी हेतु आवेदन—पत्र  
(नियम-१३७ वेट)

भेजा गया

मण्डीखुल्का

ग्रामपाल

क्रमांक

आवेदक का पासर्ह
सार्वजन
कोहीन
जसा

कृषि संपादन मण्डी शक्ति.....जिला.....को मण्डी सेनानीत चर  
राज्याभित कृषि प्रसंस्करण इकाई पर मण्डी खुल्क से छूट अथवा दर में कमी हेतु विवरण निम्नलिख हैं—

१	आवेदक का नाम
२	आवेदक का पता (पहचान पत्र शाहित)
३	आवेदक की रधाई बोखा शास्त्री(पेन) का विवरण (प्रशापित प्रति के साथ)
४	आवेदक की संगठनात्मक विधि (i) प्रोप्रोड्रॉपर्सिप (ii) नागरिकारी (iii) कल्पना (iv) ऐकायिक (v) कन्य
५	(a) यदा आवेदक अथवा यहाँ आवेदक की कर्ता है को एकदा खाड़ से अथवा नारीदारी में राज्य की दिक्षी विदेश मण्डी शक्ति से लाइसेन्स प्राप्त है। (b) यदा उद्देश लाइसेन्स नियमित अथवा विसर्त हुआ है ? यदि ऐसा है, तो कर, किस अवधि के लिए एवं दिन कारणों से
६	नाम अथवा शहरी जिला के सत्तागत प्रसंस्करण इकाई/पर्याय कार्य कर्त्ता
७	आवेदित माली लागती का नाम
८	जिला
९	निविल कृषि संसाध का नाम, जिसे कर्त्ता माला के ज्ञान में प्रशंसनुत किया जाएगा
१०	प्रसंस्करण उत्तम/उत्तमवां का नाम
११	अच्य विकास अथवा विकासों से प्राप्तिशा इकाई हेतु प्रास प्रजीकरण का विवरण (प्रत्येक लंबाई करें)
१२	इकाई/पर्याय का उत्थापित हुआ। इकायिक का विवरण (प्रत्येक लंबाई करें)

१४	भारती लोगों की स्थिति लाइसेन्स की स्थिति, लाइसेन्स भरकरा, विवाहित पुरुष बैहारा(प्रलेख/परत विज्ञापन करें)
१५	भारती द्वाहक एवं अवशेष की स्थिति
१६	भू-स्थानियों का प्रलेख, जिस पर ग्रामस्थरण हक्काई स्थापित है।
१७	ग्रामस्थरण हक्काई से स्थापित संघर्ष और भूभालरी विवरण

विवरण	प्रमाण	तरीके का	संग्रह	नियन्त्रण	खद्य	संधर्म	बालाई	वृक्षहरि	मुगलान	माले जयन	अन्याय
प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२											
३											
४											
५	जीवा										

१७	ग्रामस्थरण हक्काई की जाहिदी
१८	भगवा, बड़ीभूमि और भवन के लायाकिया, प्रोजेक्ट ऐप्लॉट की प्राप्ति जाहिद
१९	ग्रामस्थरण हक्काई की प्रतिविन उत्पादन क्रमसा का व्यानाम/व्याधिकाम/शिशु विकास
२०	सचिव लोजालार(०००) की जाएगा
२१	निविल द्वारा लृप्ति की छवि माल के स्वप में आत्मशक्ति और अपनी का जागे, जाकी दो काच्चा माल करा दिया जायेगा।
२२	फार्म-०८ में दिया भगवा विवरण सहय है और कुछ भी लिपाया नहीं गया है लेकि क्वाड्रिल उत्पादन नग्जी अधिनियम, १९८४, तदृशीत बगायी गयी लियावली एवं उपर्युक्ती का पालन किये जाने के आशय का नामी द्वारा प्रदत्त उपक यन
२३	ग्रामस्थरण शुल्क भागान का विवरण
२४	अन्य सुझना / विवरण

प्रियोक्ता

वायोस्कूल के हरताक्तर

गुरु